राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नविवि / 3 / 2010 जयपुर, दिनांक :– 10 AUG 2020

आदेश

मास्टर प्लानों में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी / क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियों के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि / 3 / 2010 दिनांक 08.06.2020 की निरन्तरता में चूंकि फिल्म सिटी परियोजना विकसित करने हेतु क्षेत्रफल अधिक होनें के कारण उक्त उपयोग को नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है एवं फिल्म सिटी, परियोजना में निर्माण एवं निर्मित क्षेत्र भी भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुपात में आंशिक क्षेत्रफल पर ही होता हैं व उक्त प्रस्तावित उपयोग से राज्य / राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे व उद्योग एवं ट्यूरिजम विभाग को गति प्राप्त होना संभावित है। अतः सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णयानुसार फिल्म सिटी परियोजना को व्यापक जनहित के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी परियोजना मानते हुए राज्य के शहरों / कस्बों हेतु तैयार किये गये मास्टर प्लान में अधिसूचित नगरीय सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी / क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। उक्त गतिविधि हेतु परिधि नियंत्रण पट्टी / क्षेत्र में भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक नहीं है, तथापि स्थानीय निकाय द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही उक्त गतिविधि अनुमत की जा सकेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

10/8/2020

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एव सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, अजमेर / जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर / जयपुर / जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक / मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.)
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
9. संबंधित जोनल / क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ / उप नगर नियोजक समस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम